विभाग का नामः–	परिवहन, दिल्ली सरकार
विभाग का पता :–	5/9, अंडर हिल रोड़, दिल्ली – 110054।
अतारांकित प्रश्न संख्या :–	118
प्रश्नकर्त्ता का नामः–	**श्री विजेन्द्र गुप्ता**
दिनांकः	21. 03. 2018

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

प्रश्न		उत्तर
क)	दिल्ली परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं, इनका विस्तृत विवरण क्या है;	1. महिलाओं की सुरक्षा हेतु दिल्ली परिवहन निगम की बसों में होम गार्ड, सिविल डिफेन्स तथा दिल्ली परिवहन निगम के मार्शल तैनात किये गये है। 2. दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में महिलाओं के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई है। 3. सभी महिला यात्रियों को किसी भी परेशानी से बचने के लिए उन्हें बस में अगले द्वार से चढ़ने की सुविधा प्रदान की गई है। 4. महिलाओं की सुविधा हेतु कुछ रूटों पर महिला विशेष बसों का परिचालन किया गया है। 5. दिल्ली परिवहन निगम की सभी लो–फ्लोर बसों में उपलब्ध इलैक्ट्रोनिक डिस्प्ले बोर्ड पर **वूमैन हैल्प लाइन नम्बर** का प्रसारण लगातार बस परिचालन के दौरान किया जाता है। 6. दिल्ली परिवहन निगम द्वारा अपने सभी चालक, संवाहक, सुपरवाईजरी स्टाफ तथा बसों में तैनात सभी मार्शलों को यह निर्देश दिये गये हैं कि बस में ड्यूटी के दौरान यदि किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार की छेडखानी जैसी घटना घटित होती है तो पुलिस सहायता लेने हेतु बस को तुरंत निकटवर्ती पी.सी.आर. वैन/ पुलिस असिस्टैन्स बूथ या निकटवर्ती पुलिस स्टेशन ले जायें।
ख)	क्या यह सत्य है कि सरकार ने सार्वजनिक परिवहन की बसों में सुरक्षा गार्ड तैनात करने का वायदा किया था; और	जी हाँ।
ग)	यदि हां तो सरकार द्वारा अब तक डीटीसी की बसों में कितने गार्ड तैनात किये गये हैं ?	दिनांक 13.03.2018 के अनुसार दिल्ली परिवहन निगम की बसों में 463 होमगार्ड मार्शल, 1600 सिविल डिफेन्स मार्शल तथा 90 दिल्ली परिवहन निगम मार्शल तैनात हैं।

हस्ताक्षर

(वर्षा जोशी)
विभागाध्यक्ष

VARSHA JOSHI, IAS
Secretary cum Commissioner (Tpt)
Transport Department
GNCT Delhi
5/9, Under Hill Road, Delhi